

क्रमांक/4/शैक्ष./एम.एम.व्ही.वाय./2018 २२३ भोपाल, दिनांक...../11/2018
प्रति,

कुल सचिव,
समस्त IIT's एवं NIT's संस्थान।

विषय :- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत लाभाथियों को प्रदान की जाने वाली राशि के सत्यापन के संबंध में।

संदर्भ :- 1.MHRD, GOI नई दिल्ली द्वारा IIT's एवं NIT's के लिए जारी पत्र क्रमांक F.No. 24-2/2016 TS 1 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 तथा पत्र क्रमांक F.No. 33-4/2014 TS III दिनांक 24 जून, 2016।
2.संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेशद्वारा जारी पत्र क्रमांक/4/शैक्ष./एम.एम.व्ही.वाय./2018/316 भोपाल, दिनांक 03.07.2018।

कृपया उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें भारत सरकार की योजना अंतर्गत रूपयें एक लाख तक पारिवारिक आय वाले अभ्यर्थियों से कोई फीस देय नहीं व एक से पाँच लाख तक पारिवारिक आय वाले अभ्यर्थियों को दो तिहाई फीस की छूट का प्रावधान है।

विषयांतर्गत आपसे MHRD, GOI नई दिल्ली के उक्त पत्र के निर्देशानुसार लाभाथियों को शुल्क का लाभ प्रदान करते हुये शेष अन्तर की राशि का सत्यापन करने का अनुरोध है ताकि नियमानुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत भुगतान किया जा सके। अतः तदनुसार ही आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि लाभाथियों को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत लाभ शीघ्र प्रदान किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्त संदर्भित पत्रों की छायाप्रति।

o/c

संचालक तकनीकी शिक्षा

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक...../11/2018

पृ. क्रमांक/4/शैक्ष./एम.एम.व्ही.वाय./2018/ २२५
प्रतिलिपि संचालक, समस्त IIT's एवं NIT's संस्थान।

o/c

संचालक, तकनीकी शिक्षा

मध्यप्रदेश